02 जुलाई 2021 को असैनिक रक्षा कर्मचारियों को एकजुटता समर्थन में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा निम्नलिखित बयान जारी किया गया था

केंद्रीय ट्रेड यूनियन मोदी सरकार द्वारा

प्रख्यापित क्रूर आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश (EDSO) 2021 की निंदा करते हैं

और राष्ट्रीय हित में रक्षा नागरिकों के संघर्ष के लिए एकजुटता का समर्थन करते हैं

रक्षा नागरिक कर्मचारियों के पांच संघों ने 26-7-2021 से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था। यह हड़ताल मोदी सरकार द्वारा अग्रणी रक्षा उद्योग को विभाजित करने के हेतु से लिए गए राष्ट्र विरोधी निर्णय के खिलाफ थी। रक्षा मंत्रालय के तहत 220 साल पुरानी भारतीय आयुध कारखानों को 7 गैर व्यवहार्य निगमों में करना और फिर उनका निजीकरण करना सरकार का हेतु था | हड़ताल का आह्वान था कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा तैयारियों और 76,000 कर्मचारियों के सेवा जीवन के हित में उसका निर्णय वापस ले। पिछले सभी समझौतों और समझौतों के उल्लंघन में लिए गए निर्णय को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करने के युनिओं के द्वारा किए गए सभी प्रयास विफल रहे थे। सरकार ने आयुध कारखानों को सरकार के पास जारी रखने के लिए संघों द्वारा दिए गए वैकल्पिक मजबूत प्रस्तावों की अनदेखी की। उसने CLC (केंद्रीय श्रम आयुक्त) पर 15-6-2021 को 3 प्रमुख मान्यता प्राप्त संघों की अनुपस्थिति में सुलह की कार्यवाही को समाप्त करने का दबाव डाला। उसने आगे बढ़कर 16-6-2021 को आयुध कारखानों को 7 टुकड़ों में काटने का निर्णय लिया। CLC द्वारा सरकार को विफलता रिपोर्ट सौंपे हुए अब 2 सप्ताह से अधिक का समय हो गया है। सरकार ने फेडरेशनों द्वारा उठाए गए विवादों को न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित करने के भी कष्ट नहीं उठाएं।

फेडरेशनों के साथ बातचीत शुरू करने के बजाय, सरकार ने अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सत्ता को तैनात करके सबसे कायर तरीके से और साथ ही साथ कठोर और क्रूर तरीके से काम किया है और खुद के कर्मचारियों के खिलाफ़ राज्य के बल का इस्तेमाल किया है। हम केंद्र सरकार के अहंकार और मनमानी की निंदा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा

प्रख्यापित ईडीएसओ आवश्यक रक्षा सेवाओं में हड़ताल को प्रतिबंधित करता है। इन रक्षा सेवाओं में रक्षा उत्पादन, रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव शामिल हैं। रक्षा में हड़ताल को अवैध घोषित किया गया है और इसमें बिना जांच के सेवा से बर्खास्तगी, गिरफ्तारी और एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो सकता है या दोनों, ऐसे कठोर प्रावधान शामिल हैं। हड़ताल के लिए उकसाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास या 15,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

यह सबसे कठोर कानून है जो आजादी के बाद इस देश में देखा गया है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन इस EDSO को कठोर, क्रूर, प्रतिगामी, अलोकतांत्रिक, मजदूर विरोधी मानते हैं और यह इस देश के मजदूर वर्ग को स्वीकार्य नहीं है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत सरकार से अपना निर्णय तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है, क्योंकि यह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत एक कर्मचारी के हड़ताल में भाग लेने के कानूनी अधिकारों को छीन लेता है, अधिनियम में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद । रक्षा क्षेत्र में पांच फेडरेशनों ने इस नए विकास की पृष्ठभूमि में 1 जुलाई को मीटिंग की और एक प्रस्ताव अपनाया और 8 जुलाई 2021 को देशव्यापी विरोध दिवस और काला दिवस के रूप में हड़ताल नोटिस देने का फैसला लिया। उन्होंने ILO (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन) से संपर्क करने सहित एक कानूनी मार्ग तय करने का भी फैसला लिया है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने देश के पूरे मजदूर वर्ग को आह्वान किया कि वह मोदी सरकार की इस अभूतपूर्व कार्रवाई का विरोध करें। यह कार्रवाई, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत असैनिक रक्षा कर्मचारी / केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में भर्ती किए गए 41 आयुध कारखानों के 76,000 कर्मचारियों की स्थिति को सरकार की दया पर छोड़ दें रही है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच, रक्षा कर्मियों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और संवेदनशील रक्षा उद्योग और उसके कार्यबल को राष्ट्रीय हित में बचाने के लिए उनके कार्य कार्यक्रमों को समर्थन देता है।